# न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : उम्मेद सिंह रतनू, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02 / 2022

**प्रार्थी –** *बनाम* **अप्रार्थीगण –**

चनणाराम पुत्र हिमथाराम जाति प्रजापत निवासी हेराजोणियों की ढाणी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रतेऊ
2. मालाराम पुत्र गोकलाराम जाति प्रजापत निवासी रतेऊ पंचायत समिति बायतु जिला बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 78 दिनांक 22.05.2013 जो ग्राम पंचायत रतेऊ द्वारा जारी किया गया।**

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03 / 2022

**प्रार्थी –** *बनाम* **अप्रार्थीगण –**

मोहम्मद पठान खां पुत्र वरियाम खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी मदों की ढाणी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रतेऊ
2. मालाराम पुत्र गोकलाराम जाति प्रजापत निवासी रतेऊ पंचायत समिति बायतु जिला बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 78 दिनांक 22.05.2013 जो ग्राम पंचायत रतेऊ द्वारा जारी किया गया।**

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति :– उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में–
1. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।
3. अप्रार्थी सं. 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested

**निर्णय** दिनांक : 01.06.2022

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपयुक्त दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों में समान पक्षकार एवं समान विषयवस्तु होने से दोनों ही निगरानी प्रार्थना–पत्रों

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

का एक संयुक्त निर्णय के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत रतेऊ द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम रतेऊ में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आवासीय पट्टा सं. 78 दिनांक 22.05.2013 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त दोनों निगरानी प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत रतेऊ का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 नोटिस की सम्यक तामिल होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड ग्राम रतेऊ की आबादी भूमि में आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का पिछले 50 वर्षो से कब्जा एवं पुराना रहवास है। इस पर प्रार्थी पहले झूपें बनाकर रहता था तथा बाद में इस भूखण्ड के चारों ओर चीणें रोपकर जाली कर अन्दर दुकानों व कमरे का निर्माण किया है। विप्रार्थी संख्या 2 सात दिन पूर्व जब प्रार्थीगण अपने उक्त स्वामित्वसुदा एवं आधिपत्यसुदा प्लॉट में बनी दुकानों में बैठा था अपने साथियों की गैंग लेकर आया तथा प्रार्थी को धमकी दी कि आलौच्य भूखण्ड पर अवस्थित प्लॉट एवं दुकानें खाली कर चला जाये। मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच–बचाव कर मामला शांत करवाया तब अप्रार्थी संख्या 2 ने मौके पर ही अपने पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा संख्या 78 दिनांक 22.05.2013 की प्रति निगरानीकर्तागण को देते हुए कहा कि इस प्लॉट का पट्टा अप्रार्थी ने अपने नाम करवा लिया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वर्ष 2013–14 की अवधि में अप्रार्थी संख्या 2 का भाई आसाराम का पुत्र किशनलाल सरपंच था। तत्कालीन सरपंच ने अपने परिजनों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से आनन–फानन में निगरानीकर्तागण को नुकसान पहुंचाने के आशय से विधि–विरूद्ध तरीके से आलौच्य भूखण्ड का पट्टा देकर अपने परिजन

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested

को ही लाभान्वित किया है। इस प्रकार किशनाराम तत्कालीन सरपंच ने अपने हितबद्ध पिता मालाराम के नाम जारी आलौच्य पट्टा विधि–विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

5. अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी करने से पूर्व नियमानुसार जिस भू–भाग का पट्टा जारी करवाया जाना है उस पर काबिज व्यक्ति को सुना जाना तथा आपत्तियां लिया जाना आवश्यक है, जबकि आलौच्य पट्टा संख्या 78 जारी करने में उक्त प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि राजस्थान पंचायतीराज नियम 146 के तहत पट्टा हेतु आवेदन पेश होने पर पट्टा–स्थल भूखण्ड के निरीक्षण हेतु तीन पंचों की मौका समिति नियुक्त करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। आलौच्य पट्टे की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.04.2013 पर किसी भी पंचान के हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही नाम अंकित हैं। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट को पंचायत सचिव के समक्ष पेश नहीं की गई है और न ही आलौच्य पट्टे के अंतिम विनिश्चय से पूर्व नियमानुसार आपत्तियों का प्रकाशन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आलौच्य पट्टा प्राप्त करने हेतु जो आवेदन दिनांक 05.04.2013 को पेश किया है उसके संलग्न उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई नक्शा पेश नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त पट्टा फर्जी तरीके से जारी होने से खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त दोनो ही निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

6. हमने दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है विवादित भूखण्ड पर प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से पर पिछले 50 वर्षों से काबिज है। इस पर पहले झूपें बनाकर रहते थे तथा बाद में इस भूखण्ड के चारों ओर चीणें रोपकर जाली कर अन्दर दुकानों व कमरे का निर्माण किया है। वर्ष 2013–14 की अवधि में अप्रार्थी संख्या 2 मालाराम का पुत्र किशनलाल सरपंच था। तत्कालीन सरपंच ने अपने परिवारजनों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से आनन–फानन में निगरानीकर्ता को नुकसान पहुंचाने के आशय से विधि–विरूद्ध तरीके से आलौच्य भूखण्ड का पट्टा देकर अपने परिजन को ही लाभान्वित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता है कि ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 05.04.2013 में कुल 56 व्यक्तियों द्वारा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

स्थित भूखण्डों के पट्टे प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिस पर पंचायत द्वारा इन आवेदनों पर मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने का निर्णय आगामी बैठक दिनांक 20.04.2013 में लिया गया। इसके पश्चात बैठक दिनाक 20.05.2013 मे कुल 97 आवेदन पत्रो मे पट्टा विलेख जारी करने का प्रस्ताव सं. 3 पारित किया गया हैं। उक्त बैठक की अध्यक्षता सरपंच श्री किशनलाल द्वारा की गई हैं जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी का कथन हैं कि वह आलौच्य पट्टाधारक मालाराम का पुत्र हैं। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 05.04.2013 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं किन्तु इसका बैठक कार्यवाही रजिस्टर में कोई अंकन नहीं किया गया हैं तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा इसके स्थल निरीक्षण एवं सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व उस पर काबिज प्रार्थीगण को न तो सुना और न ही आपत्तियां ली गई थी। उक्त विवादित भूखण्ड के निरीक्षण हेतु तीन पंचों की मौका समिति नियुक्त नहीं की गई थी जबकि पत्रावली में मौका रिपोर्ट दिनांक 20.04.2013 उपलब्ध हैं जिस पर किसी भी पंचान के हस्ताक्षर अथवा नाम अंकित नहीं हैं। उक्त निरीक्षण रिपोर्ट को पंचायत सचिव के समक्ष पेश नहीं की गई है और न ही आलौच्य पट्टे के अंतिम विनिश्चय से पूर्व नियमानुसार आपत्तियों का प्रकाशन भी नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 48 के अनुसार पंचायत की किसी बैठक में विचार हेतु लाये जाने वाले प्रस्ताव के विषय में सरपंच का हित निहित होने की दशा में उसे बैठक से विरत रहना चाहिए जबकि हस्तगत प्रकरण में सरपंच द्वारा अपने पिता के नाम से पट्टा जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव के निर्णय में भाग लिया हैं तथा बैठक की अध्यक्षता भी की गई हैं। इस प्रकार पुराने कब्जे एवं आधिपत्य की जांच के साथ–साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव एवं पंचायतीराज अधिनियम के विहित प्रावधानों के उल्लंघन में सरपंच, ग्राम पंचायत रतेऊ द्वारा अवैध, अनियमित एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 3 दिनांक 20.05.2013 के अनुसरण में जो आलौच्य पट्टा संख्या 8 [illegible] 22.05.2013 को जारी किया गया है वह निरस्त [illegible] है।

7\. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं पत्रावली के विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह दोनों निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किये जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत रतेऊ

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा बैठक दिनांक 20.05.2013 में पारित प्रस्ताव सं. 3 के तहत लिये गये निर्णय के अनुसरण में अप्रार्थी सं. 2 मालाराम के पक्ष में जो आलौच्य पट्टा सं. 78 दिनांक 22.05.2013 जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

( उम्मेद सिंह रतनू )
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2022.07.04 16:37:15 IST
Reason: SelfAttested